कार्यालय Office of
आयकर आयुक्त The Commissioner of Income Tax
अलवर Alwar

"आयकर भवन" मोती डूँगरी, अलवर "Aayakar Bhawan" Moti Doongri, Alwar
दूरभाष : 0144-2705106/100 फैक्स: 0144-2705102 Telephone : 0144-2705106/100 Fax: 2705102

आदेश संख्या : आ0आ0/अलवर/आ0अ0(मुख्या)/80-जी /2013-14/1377 दिनांक- 29.08.2013

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी (5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदन/स्वीकृति

नाम : नेहरू विकास मानव समिति, स्थायी खाता संख्या-AABTN1634N
पता : चौक मौहल्ला, कॉमा जिला-भरतपुर

उपरोक्त संस्था द्वारा दिनांक 22.03.2013 को प्रस्तुत आवेदन इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में संख्या 344/80 न्यास/संस्था में दर्ज किया गया है। प्रस्तुत आवेदन और संलग्न अन्य सूचनाओं एवं प्रपत्रों के सत्यापन करने पर यह पाया गया कि संस्था/ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीकरण संख्या 227/27 दिनांक 18.07.2012 पर पंजीकृत हो चुकी हैं और आवेदक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(i) से (v) में वर्णित शर्तो को पूरा करता है । अतः संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(vi) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2014-15 से, निम्न शर्तों पर, अनुमोदन/स्वीकृति दी जाती है :

1 संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा 80-जी (5)(iv) के अधीन -धारा 12A (B)- के अनुपालना के साथ करवायेगी ।

2 दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह स्पष्ट रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाण-पत्र कब से वैद्य है।

3 न्यास/संस्था के विलेख (Deed) में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी ।

4 इस संस्थान को दी गई स्वीकृति, प्राप्त दान के सम्बन्ध में तभी लागू होगी जबकि संस्थान/ट्रस्ट की स्थापना भारत में धमार्थ उद्देश्यों के लिए हुई है एवं संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 80G(5) (i), (ii), (iii) (iv) व (v), 80G (5A) (5B) व (5C) में दी गई शर्तों को पूरा करता हो ।

5 संस्था/न्यास/सोसायटी या गैर -लाभ-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताएं गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के किया कलाप कहाँ किए जा रहे है या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी ।

6 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1)/(4A)/(4C) के तहत संस्था/ट्रस्ट की आयकर विवरिणी दाखिल करनी होगी ।

7 संस्था द्वारा उपरोक्त किसी शर्त की अवज्ञा, दुरूपयोग, कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार यह अनुमोदन/स्वीकृति वापस ले ली जाएगी ।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अंतर्गत अनुमोदन/स्वीकृति न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता ।

उपरोक्त संस्था/न्यास को दिया गया दान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(2)(a)(iv) [धारा 80G(5) (5)(vi) के साथ पठनीय] के तहत दानदाता के हाथ में, इन धाराओं के प्रावधानों में दी गई विनिर्दिष्ट सीमाओं तक, कटौती योग्य होगा।

हस्ता./-
(जयन्त कुमार)
आयकर आयुक्त-अलवर

प्रतिलिपि-
1. नेहरू विकास मानव समिति, चौक मौहल्ला, कॉमा (भरतपुर)
2. श्रीमान संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-भरतपुर
3. श्रीमान सहायक आयकर, सर्किल-भरतपुर

(जी.पी.मीना)
आयकर अधिकारी (मुख्या.)
कृते आयकर आयुक्त, अलवर

आयकर आयुक्त अलवर